

लागू करने, समन्वय तथा मॉनिटरिंग करने के लिए, मार्च, 1985 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था। बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना (संदर्भ 2000 ए० डी०) स्वीकृत की है यह योजना वैधानिक रूप में जनवरी, 1989 में लागू की गयी थी।

(ध) और (ड) आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक और अधःसंरचना विकास, जिसमें 6565 एकड़ भूमि सम्मिलित है, की 50 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। कुल 6105 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहण की गयी है और अब तक 31 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 31 दिसम्बर, 1989 तक इन योजनाओं पर कुल 117.63 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजना

2290. श्री अजीत जोगी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए वर्तमान में लागू समेकित जनजातीय विकास परियोजना संबंधी उप-योजना के स्थान पर कोई अन्य विशेष योजना को लागू करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में इस योजना का स्वरूप क्या होगा और इसके अधीन कौन-कौन से क्षेत्रों को लिए जाने की संभावना है ?

अम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी/नहीं परन्तु 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के विकास तथा कल्याण के लिए कार्यदल से आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत निधियों के परिमाणन के लिए नई व्यवस्था की सिफारिश की है। राज्य योजना में आदिवासी उपयोजना के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित किया जाएगा तथा आदिवासी विकास विभाग को दिया जाएगा।

इन्हें उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं/स्कीमों का अवलोकन करने, आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए राज्य क्षेत्रीय विभागों को आवंटित किया जाएगा। निधियों के परिमाणन की प्रक्रिया में इस परिवर्तन के बाद भी आदिवासी उप-योजना का नामावली जारी रहेगी। इसी प्रकार आदिवासी उपयोजना के अभिन्न अंग के रूप में समेकित आदिवासी विकास योजना भी जारी रहेगी। सिफारिश कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेज दी गई है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1988 में यह निर्णय लिया था कि आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत समस्त आवंटन (जो राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होगा) आदिवासी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा। तब वह इसे विभिन्न विभागों को आवंटित करेगा। आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है राज्य स्तर तथा जिला स्तर योजनाएं, तथापि निर्णय को पूरी तरह कारगर बनाने के लिए राज्य को अभी निर्णय लेना है।

जवाहर रोजगार योजना

2291. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री 22 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 16 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना को नया रूप देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) परिवर्तित रूप में विभिन्न राज्यों के संबंध में, और खासतौर से मध्य प्रदेश के संबंध में इसका वित्तीय और भौतिक ढांचा क्या होगा ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) 22 दिसम्बर

1989 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में यह कहा गया था कि जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा की जा रही है तथा रोजगार गारन्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को पुनः संरचना करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने वर्ष 1990-91 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा देश के चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी की गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

इंदौर-दाहोद रेलवे-लाइन का पूरा किया जाना

2292. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन का कार्य कब आरम्भ किये जाने तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) इस कार्य हेतु वर्षवार क्या भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य रखे गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नंडीज) : (क) और (ख) गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मकसी नयी बड़ी लाइन संपर्क का निर्माण अनुमोदित किया गया था और इसे 297.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1989-90 के बजट में शामिल किया गया था। 1989-90 में एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी और 1990-91 के बजट में इस कार्य के लिए 5.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। तथापि, इसकी वास्तविक प्रगति तथा पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोंपड़ियों तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का विकास

2293. श्री अजीत जोगी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों के

झुग्गी-झोंपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में इन योजनाओं से ऐसी बस्तियों में रहने वाले किन-किन शहरों के कितने लोगों को लाभ होगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली भारन) : (क) और (ख) मलिनबस्ती निवासियों के जीवनस्तर में सुधार करने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की राज्य स्तर की योजना के अन्तर्गत पेय जल पुरति, बरसाती पानी की नालियां, पथ-प्रकाश, विद्यमान गलियों व रास्तों पर खंडों विछाना और सामुदायिक स्नानाघर और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएँ मईया की जाती हैं। इस योजना के लिए निधियां राज्य वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध की जाती हैं और राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाएं प्रतिपादित और कार्यान्वित करती हैं। उनके अतिरिक्त, शहरी मूलभूत सेवा योजना 1986-87 में आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत निवारक स्वास्थ्य सेवा और पोषण शिक्षा, स्कूल-पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और जीविका सुविधाएं एवं पेय जल और पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे क्रियाकलाप सामुदायिक सहायता से किए जाते हैं।

(ग) 1981 में मध्य प्रदेश में मलिनबस्तीवासियों की अनुमानित जनसंख्या 10.75 लाख थी। शहरी मलिनबस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना मध्य प्रदेश सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू है। राज्य सरकार स्वयं उन कस्बों। कालोनियों को निर्धारित करती है जहां योजना आरम्भ की जाती है। 7 वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में फरवरी, 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत 7.27 लाख मलिनबस्ति निवासियों को लाभान्वित किया गया है। शहरी मूलभूत सेवा योजना मध्य प्रदेश के इन्दौर, महु, देवापुर, सरखेर और महुम व में कार्यान्वित की जा रही है।